राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक–एफ 11 (3)/मो0/ICDS/मो0/2013/65035 जयपुर, दिनांक 17-5-2016

आदेश

विषय–समेकित बाल विकास सेवाओं के मानदेय कार्मिकों को गैर आई.सी.डी.एस. सेवाओं में उपयोग में नहीं लेने के संबंध में।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय को प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं को आंगनबाडी मानदेय कर्मियों (कार्यकर्ता/सहायिका/आशा –सहयोगिनी) के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में आँगनबाडी पर 300 दिन पूरक पोषाहार सेवा को नियमित उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त मानदेय कर्मियों का केन्द्र पर नियमित आना व पूरे समय रूककर सेवाऐं देना अनिवार्य है।

भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक DO No. 16/17/2015-CD-III दिनांक 21.04.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (National Food Security Act-2013) के तहत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से तय पोषाहार मानकों के अनुरूप निःशुल्क भोजन का हकदार (entitled) घोषित किया गया है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना करने हेतु आंगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए मानदेय कार्मिकों द्वारा आंगनबाडी केन्द्र का नियमित रूप से संचालन कर सेवाएं देना अनिवार्य है।

इसी संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.08.2012 द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका सं. 60/2012 के क्रम में निर्देश दिये गये है कि ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य बीमा कार्ड इत्यादि गैर–आई.सी.डी.एस. कार्य नहीं करवाये जाये।

पूर्व में भी शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान की ओर से समस्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद् को पत्र दिनांक 23.06.2010, 13.09.2012 तथा 10.01.2013 एवं प्रमुख शासन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा भी पत्र दिनांक 10.06.2013 लिखा गया था कि आई.सी.डी.एस. कार्मिकों, विशेष रूप से आँगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका को गैर आई.सी.डी.एस. कार्यो में नहीं लगाया जावे। किन्तु अभी भी यह देखने में आ रहा है कि आई.सी.डी.एस. कार्मिकों को आंगनबाडी केन्द्र संचालन समय में गैर आई.सी.डी.एस. कार्यो यथा राशन कार्ड फार्म अभियान, नरेगा कार्य निगरानी, स्वास्थ्य बीमा योजना, चुनाव ड्यूटी, पेंशन अभियान, विशेष जनों का सर्वे आदि अन्य गैर आई.सी.डी.एस. कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे आंगनबाडी केन्द्रों का नियमित संचालन व आई.सी.डी.एस. सेवाएँ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। आई.सी.डी.एस. मानदेय कर्मी राज्य कर्मचारी नहीं है एवं इनसे उपरोक्त कार्य कराना माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की पालना हेतु इनका पूरे समय ऑगनबाडी केन्द्र पर रहना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आई.सी.डी.एस. मानेदय कार्मिकों का उपयोग गैर आई.सी.डी. एस. कार्यो में नहीं किया जाये।

संलग्नः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के संबंधित प्रावधान।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक–एफ 11 (3)/मो0/ICDS/मो0/ 2013/ 65036-536 जयपुर, दिनांक : 17-5-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मबाविवि, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
12. जिला कलेक्टर्स , समस्त।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
14. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
16. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
17. कम्प्यूटर शाखा को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान , जयपुर।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015
अध्याय–2
खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,–

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम के निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके ; और

(5) (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदारियां होंगी–

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम से आयु के समुचित निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके :

अनुसूची 2

(धारा 4 (क), धारा 5 (1) और धारा 6)

पोषक मानक

पोषक मानकः छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बालकों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए पोषक मानक घर ले जाया जाने वाला राशन उपलब्ध कराके या एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराके पूरे किए जाने अपेक्षित पोषक मानक निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाने वाला राशन	500	12–15
2	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता एवं गरम पका भोजन	500	12–15
	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाने वाला राशन	800	20–25
	गर्भवती स्त्रियां एवं स्तनपान करने वाली माताऐं	घर ले जाने वाला राशन	600	18–20

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939